Sr. No. 17 (R)

5534
M
02/3/20

F.No. 29/05/2018-M
Government of India
Archaeological Survey of India

'Dharohar Bhawan'
24 Tilak Marg, New Delhi
Dated: 28.02.2020

To,

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Near DTC Depot, Ring Road,
New Delhi-110064.

Subject : Publication of Notification regarding Amendment in Rule 8 (d) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remain Rule, 1959 -reg.

Sir,

Please find enclosed herewith copy of Notification both in Hindi and English duly signed by the Add. Director General, Archaeological Survey of India, an Officer equivalent to the Joint Secretary to the Government of India, for publishing the same in the Gazette of India in part II, section 3, sub-section(i).

You are requested to publish the Notification in the Gazette of India, Extraordinary and provide 100 copies of the same to this office for record.

Yours faithfully,

Encl: As above

(T.J. Alone)
Director (Monuments)
Tel. No. 23075352
tjalone.asi@gov.in

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-Section(i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi.....February, 2020

G.S.R..... The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958(24 of 1958), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is given that the said draft rules shall come into force from the date of publication of their notification in the Official Gazette.

Interested person likely to be affected by the said Rules may submit objections or suggestions within the period of thirty days from the date on which the copies of Official Gazette of this draft Rules are made available to the public.

Objections or suggestions may be send to the Director General, Archaeological Survey of India, 24 Tilak Marg, New Delhi-110001 or on <dg.asi@gov.in>

Rules

1. (i) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, in rule 8, clause (d), after the words "archaeological officer" the words "or Incredible India Tourist Facilitator (IITF) certification approved by the Ministry of Tourism, Government of India for showing a visitor round" shall be inserted.

(Rakesh Singh Lal)
Add. Director General
[F.No. 29/05/2018-M]

Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section(ii) vide S.O. 2036, dated the 15th October, 1959 at pages 519-525 and subsequently amended vide :-

(i) No. S.O. 3520 dated the 20th November, 1966
(ii) No. GSR 663 dated the 1st May, 1967
(iii) S.O. 5002, dated 13th December, 1971,

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, ...फरवरी, 2020

सा.का. आ. ....(अ).- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रारूप नियमों को बनाने का प्रस्ताव रखती है, और एतदद्वारा उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जिनको इनसे प्रभावित होने की संभावना है और एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्तप्रारूप नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे |

उक्त नियमों से प्रभावित होने वाले हितबद्ध व्यक्ति, इस प्रारूप नियमों के राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने के तीस दिनों की अवधि के अन्दर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं|

आपत्तियां/सुझाव महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 या dg.asi@gov.in को भेजे जा सकते हैं |

नियम

1. (i) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा |

   (ii) ये राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में नियम 8 के खंड (घ) में "पुरातत्वीय अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अतुल्य भारत पर्यटक सहयोगी (आई आई टी एफ) प्रमाण पत्र- पर्यटक दौरा दर्शाने के लिए" शब्द शामिल किये जायेंगे |

राकेश लाल

(राकेश सिंह लाल)

अपर महानिदेशक

[फा. सं. 29/05/2018-स्मा.]

फुट नोट: प्रधान नियम, दिनांक 15 अक्टूबर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप खंड (ii) में का. आ. 2036 पृष्ठ 519-525 पर प्राकाशित किये गए थे और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधन किये गए थे:

(i) संख्या का. आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966

(ii) संख्या सा.का. आ.663 दिनांक 1 मई, 1967

(iii) संख्या का. आ. 5002, दिनांक 13 दिसंबर, 1971,

(iv) संख्या का. आ. 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971,
(v) संख्या सा.का. आ. 90 दिनांक 30 जनवरी, 1991,
(vi) संख्या सा.का. आ. 306 दिनांक 10 जुलाई, 1996,
(vii) संख्या सा.का. आ.799(अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2000,
(viii) संख्या सा.का. आ.800(अ) दिनांक 17अक्टूबर, 2000,
(ix) संख्या सा.का. आ. 848(अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000,
(x) संख्या का. आ. 10(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001,
(xi) संख्या सा.का. आ.688(अ) दिनांक 24 सितम्बर, 2001
(xii) संख्या सा.का. आ.372(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003,
(xiii) संख्या सा.का. आ.112अ) दिनांक 27 फरवरी, 2008,
(xiv) संख्या सा.का. आ.164(अ) दिनांक 5 मार्च, 2008,
(xv) संख्या सा.का. आ.436(अ) दिनांक 9 जून, 2008,
(xvi) संख्या सा.का. आ. 37(अ) दिनांक 15 जनवरी, 2008,
(xvii) संख्या सा.का. आ.429 (अ) दिनांक 20 मई, 2010,
(xviii)संख्या सा.का. आ.631 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012,
(xix) संख्या सा.का. आ.607(अ) दिनांक 31 जुलाई, 2015,
(xx)संख्या सा.का. आ.391 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2016,
(xxi) संख्या सा.का. आ.1539 (अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2017
(xxii) संख्या सा.का. आ.98 (अ), दिनांक 24 जनवरी, 2018
(xxiii)संख्या सा.का. आ.726(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2018
(xxiv) संख्या सा.का. आ.879 (अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2018
(xxv) संख्या सा.का. आ.1171 (अ), दिनांक 4 दिसंबर, 2018
(xxvi) संख्या सा.का. आ.276 (अ), दिनांक1 अप्रैल, 2019
(xxvii) संख्या सा.का. आ.303 (अ), दिनांक8 अप्रैल, 2019